

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी०- 2 / न्यायिक मजिस्ट्रेट,
फिरोजाबाद।

UPFD040427692023



प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं०- 2083/2023

श्रीमती अन्वेषा शर्मा बनाम सचिन उपाध्याय आदि

दिनांक: 11-08-2026

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 12,18,19,20,21,22 घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 पेश हुआ। पुकारा गया। कोई उपस्थित नहीं है। प्रार्थिया पिछली कई तिथियों से अनुपस्थित है। आज भी उसकी तरफ से न तो स्थगन प्रार्थनापत्र दिया गया है और न ही उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। इससे ऐसा प्रकट होता है कि प्रार्थिया को इस मामले में सुनवाई हेतु अभिरुचि नहीं रह गयी है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 12,18,19,20,21,22 घरेलू हिंसा अधिनियम प्रार्थिया की अनुपस्थिति के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 12,18,19,20,21,22 घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 प्रार्थिया की अनुपस्थिति के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(युग्मिता प्रताप)

सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी०
द्वितीय, फिरोजाबाद।

Jo Code 3640